न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) बी के तहत
अनुमति वाद संख्या –आर. एम. 12/2022–23

उपेन्द्र नाथ महतो..विक्रेता

बनाम

अभिषेक कुमार... ....क्रेता

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

18.08.2022

विक्रेता का नाम एवं पता– निवास: उपेन्द्र नाथ महतो पिता–स्व० कालेश्वर महतो ग्राम–गोड़ाडीह पो०–गोड़ाडीह, थाना–सिल्ली जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पताः–: अभिषेक कुमार, पिता–सियाराम मेहता निवास ग्राम–तड़ाई टोला रांगामाटी, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़ जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नामः– श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 07/06/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत क्रेता अभिषेक कुमार, पिता–सियाराम मेहता निवास ग्राम–तड़ाई टोला रांगामाटी, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़ जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–सोनाहातु थाना–सोनाहातु, थाना सं०–58 जिला–राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
203	1481	32 डीसमील	उ०–राजेन्द्र महतो, द०–दिनेश महतो पू०–रांगाडीह सीमाना, प०–रास्ता

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक–342 (।।) दिनांक 28/06/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत मनशा वो गनपत कौम–कुम्हार के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत से आवेदक का संबंध खरीद बिक्री का है।
3. पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम हराधन महतो वगैरह है ।
4. पंजी–।। रैयत के साथ आवेदक का पिता–पुत्र का संबंध है।
5. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2022–2023 तक वसूली की गई है।

18.08.2022

6. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
7. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म है।
8. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
9. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में अवेदक/आवेदिका का अंश 0.55 एकड़ है।
10. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–0.23 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
11. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक घरेलू कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
12. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकरी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
13. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है, जो बी. सी.–। के अन्तर्गत आता है ।
14. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है।
15. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदिम भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
16. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
17. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
18. आवेदक का खरीदगी भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु खतियानी भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत विक्रेता उपेन्द्र नाथ महतो पिता–स्व० कालेश्वर महतो निवास ग्राम–गोड़ाडीह पो०–गोड़ाडीह, थाना–सिल्ली जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती ने क्रेता/विपक्षी अभिषेक कुमार, पिता–सियाराम मेहता निवास ग्राम–तड़ाई टोला रांगामाटी, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़ जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 07/06/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता उपेन्द्र नाथ महतो पिता–स्व० कालेश्वर महतो निवास ग्राम–गोड़ाडीह पो०–गोड़ाडीह, थाना–सिल्ली जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता/विपक्षी अभिषेक कुमार, पिता–सियाराम मेहता निवास ग्राम–तड़ाई टोला रांगामाटी, पो०–रड़गाँव, थाना–तमाड़ जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (।) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–सोनाहातु थाना–सोनाहातु, थाना सं०–58 जिला–राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
203	1481	32 डीसमील	उ०–राजेन्द्र महतो, द०–दिनेश महतो पू०–रांगाडीह सीमाना, प०–रास्ता

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.02.15 17:10:13 +05:30
Location: 10.93.79.19

लेखापित एवं संशोधित

18/08

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

18/08

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।